संख्या-51 /44-1-2011-40/2011

प्रेषक,

हरिराज किशोर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों के प्रशासनिक
विभागों के प्रमुख सचिव/ सचिव ।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 2011

विषय :- सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों के विभिन्न संवर्गो के कर्मचारियों के वेतनमान / ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर निम्नवत निर्णय लिये गये है :-

(1) सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये अपुनरीक्षित वेतनमान रु0 6500-10,500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-2 रु0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200 के स्थान पर वेतन बैण्ड-2 रु0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600 दिनांक 01 जनवरी,2006 से परिकल्पित आधार पर स्वीकृत करते हुए वेतन निर्धारण किया जाय ।

(2) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के समूह 'ध' के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एस0 रु0 4440-7440 एवं ग्रेड वेतन रु01300/-, रु0 1400/- एवं रु01650/- के स्थान पर संशोधित / उच्चीकृत वेतन बैण्ड-रु0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 1800/- दिनांक 1.1.2006 से काल्पनिक रुप से अनुमन्य कराते हुए इसका वास्तविक लाभ तात्कालिक प्रभाव (08 सितम्बर,2010)से अथवा छठा वेतनमान लागू होने की वास्तविक तिथि से (जो भी बाद में हो) पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है ।

2. यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर (कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों को छोड़कर) नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदों के संबंध में यथावश्यकता केवल आउट सोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जायेगी । परन्तु उक्त व्यवस्था, उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली,1974 के अन्तर्गत समूह -'ध' के पदों पर की जाने वाली नियुक्ति के संबंध में लागू नहीं होगी ।

परन्तु इस संबंध में सार्वजनिक उधम अनुभाग-2 द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों के सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को सेवायोजन में लिये जाने हेतु जारी शासनादेश संख्या-05 वी0आई0पी0/44-2-2003-2 /च.स./88, दिनांक 11 जुलाई,2003 द्वारा निर्धारित व्यवस्था यथावत लागू रहेगी ।

3. उपर्युक्त शासनादेश संख्या-1105/44-1-2009-77/2009, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा और शासनादेश की शेष शर्ते यथावत लागू रहेंगी ।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- वे0आ0-2- 145 /दस-2010, दिनांक 15 फरवरी,2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(हरि सिंह किशोर)
प्रमुख सचिव ।

पृ0सं0- 51 (1)/44-1-2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों के प्रबन्ध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
2. निदेशक,सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो,जवाहर भवन,लखनऊ ।
3. सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2/आडिट प्रकोष्ठ वाणिज्यिक, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. संयुक्त निदेशक,सार्वजनिक उधम व्यूरो को वेब साइट पर डालने हेतु/प्रबन्ध पत्रिका केप्रकाशनार्थ।
5. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय, उ0प्र0,लखनऊ।
6. निदेशक,सूचना एवं जनसम्पर्क ,उ0प्र0,लखनऊ।
7. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(सी0पी0 सिंह)
उप सचिव।